न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 482/2025
प्रार्थीगण :-

1. ओमप्रकाश राठौड पुत्र किशनाराम जाति खारडिया सीरवी निवासी बेरा मालजी का पीपलिया जोधपुर रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. चेतनप्रकाश सीरवी पुत्र जोगाराम जाति खारडिया सीरवी निवासी एलआईसी आफिस के पास कागो का मगरिया बिलाडा
3. शेषाराम पुत्र भंवरलाल जाति खारडिया सीरवी निवासी पोमावतों का मगरिया बाणगंगा पुल के पास बिलाडा
4. संगीता पटेल पुत्री जवाहरलाल पटेल जाति पटेल निवासी बेरा सांगरों का मगरिया 220 केवी बिजली घर रोड बिलाडा

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,131, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी - श्री नरपत सिंह सोलंकी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1- सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांकः- 23/01/26

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि सरहद मौजा पिचियाक में स्थित भूमि खसरा सं. 1068/472 रकबा 0.2063 हैक्टेयर किस्म नहरी सोयम की आई हुई है, जो प्रार्थीगण खातेदारी की भूमि है। सबूत के रूप में जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 खाता सं. 825 की पेश है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का हाल ही में दिनांक 15-09-2025 को हल्का पटवारी को मौका निरीक्षण करवाकर नाप चौप करने के लिये मौके पर ले गये। मौका निरीक्षण के समय ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा सं. 1068/472 मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम स्थित नहीं है व राजस्व नक्शे में तरमीम दूसरी जगह स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व नक्शे में तरमीम की शुद्धि बाबत् हल्का पटवारी से आग्रह किया तो हल्का पटवारी ने स्वयं के स्तर पर तरमीम शुद्धि किये जाना संभव नहीं होना बताया। जिस पर प्रार्थीगण तहसीलदार बिलाड़ा को प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की राजस्व नक्शा में तरमीम शुद्धि का निवेदन किया गया, परन्तु अप्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा तरमीम में अशुद्धि लम्बे समय से होने से तरमीम में शुद्धि किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण मूल खसरा नं. 472 में विभिन्न हिस्सों में बंटवाड़ा होने के बाद प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा सं. 1068/472 मौके पर स्थित कब्जे अनुसार तरमीम शुद्धि करवाने का कानूनन अधिकारी है। मौके पर मूल खसरा सं. 472 के सभी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

खातेदार अपनी-अपनी जगह पर काबिज है तथा आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्रार्थीगण राजस्व किश्तवार नक्शे में लिखित व दर्ज लिपिकीय त्रुटि की वजह से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि के जायज अधिकारों से वंचित हो रहा है। तथा उक्त खसरे की भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु किसी प्रकार से राजस्व रेकर्ड भिन्नता होने से उपयोग नहीं कर पा रहा है। प्रार्थीगण को अपने कब्जे अनुसार खसरा सं. 1068/472 की मौके राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्धि करवाने का कानूनी अधिकार है। इसलिये प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् तरमीम शुद्धि हेतु पेश है। धारा 111, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार उक्त धाराओं में प्रार्थना पत्र पेश करने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की हुई है। खसरा सं. 1068/472 की भूमि राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को श्रीमान् को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा सं. 1068/472 रकबा 0.2063 किस्म नहरी सोयम का मौके पर स्थित कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम संशोधित कर शुद्धिकरण किये जाने का आदेश पारित फरमावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मुताबिक हल्का पटवारी फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का कब्जा नजरी नक्शा में PQRS स्थान पर होना बताया है। यदि प्रार्थी विधिक कसौटी पर सही पाया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थीगण खसरा नंबर 1068/472 में प्रार्थीगण रेकर्डेड सहखातेदार है। पटवारी रिपोर्ट में मार्क ABCD स्थान पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं होना बताया। वर्तमान नजरी नक्शा में प्रार्थी के खसरा नंबर 1068/472 के दक्षिण में चिपते खसरा नंबर 1069/472 के खातेदार के कई हस्ताक्षर प्रदर्शित नहीं है। पटवारी द्वारा कब्जा अनुसार नजरी नक्शा में खसरा नंबर 1068/472 के उतरी दिशा में चिपते खसरा नंबर 1064/990 तथा दक्षिण दिशा के चिपते खसरा नंबर 1065/990 के खातेदार के हस्ताक्षर प्रदर्शित नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा मौका फर्द में उल्लेख किया कि प्रार्थी के कब्जा काश्त के आस-पडौस के लगते खातेदारों के हस्ताक्षर करवाया जाना बताया किन्तु किस खसरे के खातेदारों के हस्ताक्षर प्रदर्शित किये इस बात का मौका फर्द रिपोर्ट में कई उल्लेख नहीं किया। कब्जा काश्त के नजरी नक्शे के अनुसार वादग्रस्त खसरा नंबर 1068/472 के पूर्व दिशा में चिपते खसरा नंबर

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1012/472 के खातेदार के हस्ताक्षर मौका फर्द रिपोर्ट पर कई भी प्रदर्शित नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट रिपोर्ट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया कि कब्जा अनुसार तरमीम किये जाने से अन्य खसरान की तरमीम प्रभावित होगी या नहीं। प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रभावित काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को प्रभावित खसरों के काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा